न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 18 / 2022

चन्द्रसिंह गूर्जर पुत्र अजबसिंह गूर्जर खड्ईया ग्राम खड्ईया पोस्ट कोडापुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश   दिनांक 07.04.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चन्द्रसिंह गूर्जर पुत्र अजबसिंह गूर्जर खड्ईया ग्राम खड्ईया पोस्ट कोडापुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2022 जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/174 दिनांक 24.03.2022 के द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध जिला रसद अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक/रसद/आरटीआई/2022/102 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गइ बिन्दुओं की सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराइ गई हैं। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/रसद/आरटीआई/2022/102 दिनांक 05.04.2022 का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित सूचना पत्र कमांक/रसद/आरटीआई/2022/93 दिनांक 24.02.2022 की प्रति भी भिजवाई गई है। रस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (जिला रसद अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर